


समाहरणालय समस्तीपुर
जिला प्रोग्राम शाखा, आई0सी0डी0एस0
विज्ञापन संख्या-01 / 2024

विभागीय पत्रांक-3735 दिनांक-10.07.2023 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 के निदेशानुसार समाज कल्याण के स्वीकृति आदेश संख्या-01/2017/ पत्रांक-2056 दिनांक-15.06.2017, पत्रांक-162/दिनांक-04.02.2023, पत्रांक-5001 दिनांक-28.08.2024 एवं पत्रांक-5016 दिनांक-28.08.2024 के आलोक में समस्तीपुर जिलान्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत एवं नवस्वीकृत महिला पर्यवेक्षिका के पद के विरुद्ध रिक्त कुल-36 पदों पर सेविका पद से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन किया जाना है। इस पद हेतु मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक कार्यरत अभ्यार्थी (अभ्यार्थी के कार्य अनुभव की गणना प्रथम जनवरी 2024 के आधार पर की जायगी) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के अगले कार्य दिवस से 20 दिनों तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, (पिता के पते से) एवं आवासीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए आधिकारिक पोर्टल <http://125.16.175.140:88/vacancylist.aspx> पर ऑनलाईन करना सुनिश्चित करेंगे। (नोट:-विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी पोर्टल <http://125.16.175.140:88/vacancylist.aspx> पर देखी जा सकती है।)


जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर।

समाहरणालय समस्तीपुर।

(जिला प्रोग्राम शाखा, I.C.D.S)

dposamastipur74@gmail.com

Mobile N. 9431005041

समेकित बाल विकास सेवाएँ(आई0सी0डी0एस0), समस्तीपुर जिला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन संबंधित विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-01/2024

विभागीय पत्रांक-3735 दिनांक-10.07.2023 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 के निदेशानुसार समाज कल्याण के स्वीकृति आदेश संख्या-01/2017/ पत्रांक-2056 दिनांक-15.06.2017, पत्रांक-162/दिनांक-04.02.2023, पत्रांक-5001 दिनांक-28.08.2024 एवं पत्रांक-5016 दिनांक-28.08.2024 के आलोक में समस्तीपुर जिलान्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत एवं नवस्वीकृत महिला पर्यवेक्षिका के पद के विरुद्ध रिक्त कुल-36 पदों पर सेविका पद से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन किया जाना है। इस पद हेतु मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के अगले कार्य दिवस से 20 दिनों तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, (पिता के पते से) एवं आवासीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए आधिकारिक पोर्टल <http://125.16.175.140:88/vacancylist.aspx> पर ऑनलाईन करना सुनिश्चित करेंगे। समस्तीपुर जिला में महिला पर्यवेक्षिका का कुल 36 पद रिक्त है, जिसमें सभी पद ऑगनवाड़ी सेविका के पद से भरे जायेंगे। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के पत्रांक-41/स्था0-13/2010-324 दिनांक-03.07.2023 से स्वीकृति के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत आरक्षण के नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा। महिला पर्यवेक्षिका के रिक्ति की विवरणी कोटिवार निम्न है:-

क्र० सं०	कोटि	पदों की संख्या
01	अनारक्षित वर्ग	18
02	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	06
03	पिछड़ा वर्ग	00
04	पिछड़ वर्ग की महिला	01
05	अनुसूचित जाति	06
06	अनुसूचित जनजाति	01
07	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04
कुल		36

(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापनांक-13062 दिनांक-12.10.2017 एवं पत्रांक-962 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में क्षेत्रीय आरक्षण के तहत (01) एक पद दृष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवार को दिया जायेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षण वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी) ।

D/19/-2021

1. **ऑंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका(अनुबंध) के पद पर नियोजन हेतु अर्हताएँ :-**
 - (क) अभ्यर्थी केवल महिलायें एवं जिला अन्तर्गत किसी परियोजना/प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हों।
 - (ख) अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
 - (ग) अभ्यर्थी जिलान्तर्गत आंगनवाड़ी पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। इस हेतु अंतिम तिथि की गणना प्रथम जनवरी 2024 के आधार पर की जायेगी।
 - (घ) विभागीय पत्रांक-162 /दिनांक-04.02.2023 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी एवं चयन वर्ष जनवरी 2024 को ऑंगनवाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो।
2. **अनिवार्य अर्हता:-**
 - (क) न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
 - (ख) न्यूनतम 10 वर्ष सेविका पद पर कार्यरत हों।
3. **वांछनीय अर्हता :-**शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा (इण्टर/स्नातक/स्नातकोत्तर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्रमशः 10 बोनस अंक / 05 बोनस अंक / 03 बोनस अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।
4. ऑंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।
5. मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों को जोड़ा जाएगा।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं(इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात् प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक, यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।

8. यदि दो अभ्यर्थियों को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो, अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा।
9. अनियमितता के आलोक में चयनमुक्त ऑगनवाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।
10. **उम्र सीमा**— सेविका चयन के वर्ष के पहली जनवरी को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। विभागीय पत्रांक-162 दिनांक-04.02.2023 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी।
11. **शारीरिक स्वास्थ्यता**— आवेदिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है।
12. आवेदिका को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (पिता के पते पर निर्गत) स्वअभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
13. अभ्यर्थी को इस आशय की अंडरटेकिंग/शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
14. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी और अनुबंध अवधि की समाप्ति पर कार्य संतोषजनक प्रदत्त कार्य एवं पद की आवश्यकता के आलोक में आगे की अवधि विस्तार किया जायेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
15. विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक 5994 दिनांक-31.12.2018 एवं समय-समय पर सरकार/विभाग से निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में निहित अन्य अनुदेशों का पालन नियोजन हेतु किया जायेगा।
16. उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-5543 दिनांक-04.10.2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/ पारिश्रमिक 25000/-रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120/-प्रति ऑगनवाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/-प्रतिमाह) निर्धारित है।
17. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर।